न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/121/2024 रजू दिनांकः 09.09.2024 रजि0 न0 2024/216

अपीलार्थीः–

श्री घनश्याम शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा, निवासी खेड़ा मिर्जापुर, तहसील रैणी, जिला अलवर–301409 (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 21.10.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 30.07.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन दिनांक 02.09.24 न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 17.09.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपील में वर्णित सूचना आवेदन दिनांकः 30.07.2024 में अंकित अभ्यावेदन दिनांक 14.08.2023 के परिप्रेक्ष्य में पत्रांक 1697–98 दिनांकः 28.08.24 के माध्यम से सूचना प्रेषित की जा चुकी है। शेष सूचना के संबंध में प्रासांगिक अपील व स्मरण–पत्र के अनुसरण में सूचना संकलित किए जाने पर, अति० जिला कलक्टर(प्रथम) एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, अलवर के पत्रांक राजस्व/RTI/2024/2477 दिनांकः 18.09.2024 एवं अति० जिला कलक्टर द्वितीय एवं प्रभारी अधिकारी विकास शाखा, कलक्ट्रेट अलवर के पत्रांक विकास /2024/1123 दिनांकः 25.09.2024 (अभ्यावेदन दि0 20.09.2023) एवं प्रभारी अधिकारी, कोर्ट अनुभाग, कलक्ट्रेट, अलवर के पत्रांक कोर्ट/आरटीआई/2024/916 दिनांकः 25.09.2024 (अभ्यावेदन दिनांकः 02.11.2023) एवं अति० जिला कलक्टर द्वितीय एवं प्रभारी अधिकारी पंचायत शाखा, कलक्ट्रेट अलवर के पत्रांक पंचायत/RTI/2024/14–15 दिनांकः 21.10.2024 (अभ्यावेदन दिनांक 03.07.2023 एवं अभ्यावेदन दिनांक 19.12.2023) के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है जो नियमानुसार अधिप्रमाणित कर संलग्न प्रेषित है। शेष अभ्यावेदन दिनांकः 04.01.2024 एवं दिनांकः 07.02.24 कार्यालय के जनरल रिसीप्ट क्रमांकः 89 दिनांक 09.1.2024 एवं रिसीट क्रमांकः 459 दिनांक 09.02.24 के माध्यम से मूल ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किए गए हैं जिनके संबंध में उक्त कार्यालय स्तर पर संपर्क स्थापित कर सूचना प्राप्त करें, अन्य कोई सूचना शेष नहीं है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत अपील आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को संबंधित अनुभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यालय के पत्रांक 1970 दिनांक 21.10.2024 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर सूचना पंजीकृत–पत्र द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)